बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार।
कार्यालयः—वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई। पिनकोड– 811307, फोन नं0– 06345–222036 मो0 नं0–9473053950 E-mail I.D-jamuidfo@gmail.com

पत्रांक–लेखा0 /

प्रेषक,

तेजस जायसवाल, भा0व0से0,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

जमुई–811307, दिनांक–............/........../2026

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में जमुई वन प्रमंडल अंतर्गत महावीर वाटिका, माधोपुर पार्क अवस्थित कैफेटेरिया की बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना का प्रकाशन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जमुई वन प्रमंडल अंतर्गत महावीर वाटिका, माधोपुर पार्क अवस्थित कैफेटेरिया की बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन निविदा किया जाना है। तदआलोंक में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि अल्पकालीन निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार–पत्रों में श्वेत–श्याम में शीघ्र कराने की कृपा की जाय।

अनु0– अल्पकालीन निविदा सूचना।

विश्वासभाजन,
ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल,जमुई।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल,जमुई।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपिः–वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल,जमुई।

ज्ञापांक–255 दिनांक– 02/02/26

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा से संबंधित निर्धारित प्रपत्रों एवं शर्तों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

Tejas
02.02.26.
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल,जमुई।

D:\Sonu\Letter...docx

बिहार सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई

अल्पकालीन निविदा सूचना

सं0–02 / 2025–26

1. विभाग का नाम :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
2. विज्ञापनदाता का नाम :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई
3. निविदा प्रपत्र बिक्री की अन्तिम तिथि :– 13.02.2026 संध्या 05:00 बजे पूर्वाह्न तक
4. निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि :– 13.02.2026 को 05:00 बजे पूर्वाह्न तक
5. निविदा खोलने की तिथि :– 14.02.2026 को 02:30 बजे पूर्वाह्न तक
6. अग्रधन राशि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट।

क्र0 सं0	निविदा का विवरण	अग्रधन की राशि	जमानत राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	निविदा की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	महावीर वाटिका, माधोपुर स्थित कैफेटेरिया की बन्दोबस्ती	50,000/- (पचास हजार रूपये)	एक वर्ष की कुल राशि का पचीस प्रतिशत।	1000/- प्रति।	01.03.2026 से 28.02.2029 तक (तीन वर्ष)

निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के कार्यालय के कार्यवधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

Tejas

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई

महावीर वाटिका, माधोपुर अवस्थित कैफेटेरिया संचालन हेतु निविदा की शर्त्तें :–

(निविदा अवधि 01.03.2026 से 28.02.2029 तक)

जमुई वन प्रमण्डल, जमुई अतंर्गत महावीर वाटिका, माधोपुर में पर्यटकों के जलपान हेतु खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने के लिये कैफेटेरिया (जो जहॉ है, जिस रूप में है) के संचालन हेतु संचालकों से सीलबंद निविदा विहित प्रपत्र में दिनांक – 13.02.2026 को पूर्वाह्न 05.00 बजे तक वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमण्डल, जमुई के कार्यालय कक्ष में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमण्डल, जमुई के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वेबसाईट ***www.forest.bih.nic.in*** या ***www.prdbihar.gov.in*** से डाउनलोड की जा सकती है। ये तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें दिनांक – 14.02.2026 को 02.30 बजे पूर्वाह्न तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सभी निविदाओं को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. महावीर वाटिका माधोपुर में अवस्थित कैफेटेरिया संचालन हेतु निविदा समर्पित की जायेगी। निविदाकर्त्ता 'तकनीकी निविदा' तथा 'वित्तीय निविदा' दो अलग–अलग लिफाफों में डालकर एवं सीलबंद कर दोनों लिफाफों को एक अलग लिफाफे में डालकर सीलबंद करेंगे। तकनीकी निविदा के लिफाफे पर "तकनीकी निविदा" तथा उस पर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 02/2025–26 अंकित करेंगे। उसी प्रकार 'वित्तीय निविदा' के लिफाफे पर "वित्तीय निविदा" लिखकर अपना नाम–पता एवं निविदा का विज्ञापन संख्या 02/2025–26 अंकित करेंगे। मुख्य लिफाफा जिसके अन्दर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के दोनों सील बंद लिफाफे रहेंगे पर "कैफेटेरिया" संचालन के लिए निविदा" एवं निविदा का विज्ञापन संख्या अंकित कर अपना नाम–पता अंकित करेंगे। तकनीकी निविदा में तकनीकी निविदा फार्म, निविदा शर्त्तों के अनुपालन हेतु वांछित स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज, निविदा प्रपत्र क्रय का मनी रसीद/निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर समर्पित करने की स्थिति में प्रपत्र मूल्य के रुप में रूपये 1000/– (एक हजार) का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करेंगे तथा अपना नाम एवं पता अंकित किया जाएगा। निविदाकर्त्ता वित्तीय निविदा में प्रतिमाह उद्यान को दी जाने वाली राशि अंक एवं शब्द दोनों में साफ–साफ लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। एक से अधिक दर अंकित करने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. निविदा के साथ **अग्रधन** के रूप में कैफेटेरिया संचालन हेतु रू0 50000/– (पचास हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो **(Divisional Forest Officer, Jamui Forest Division, Jamui)**/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमण्डल, जमुई के पदनाम से जमुई स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के प्राप्त होने वाले तकनीकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
3. विलम्ब से या अन्य माध्यम से अथवा सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आयकरदाता होने का प्रमाण–पत्र (पैन कार्ड) एवं विगत तीन वर्षो यथा (Assesment Year 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26) का वार्षिक रिटर्न की छाया प्रति संलग्न करना होगा। जिस किसी निविदाकर्त्ता के द्वारा वार्षिक रिटर्न नही भरा गया हो वे सभी निविदाकर्त्ता एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनका वार्षिक रिटर्न नही भरा गया है तथा भविष्य में अगर उनकी आय आयकर विभाग द्वारा वार्षिक रिटर्न जमा करने हेतु निर्धारित आय से अधिक होती है तो वह निश्चित रूप से वार्षिक रिटर्न भरना सुनिश्चित करेंगे।

5. निविदादाता को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन एक तिमाही (तीन माह) की अद्यतन रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। जिस किसी संचालक के पास निबंधन प्रमाण–पत्र वर्त्तमान में नही है वे सभी संचालक एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि वह कैफेटेरिया (Cafeteria) के संचालन से पूर्व जी0एस0टी0 के अन्तर्गत सभी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा इनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

6. निविदाकर्त्ता को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 12 लाख से अधिक टर्नओवर करने वाले होटल/रेस्टोरेंट श्रेणी के राज्य अनुज्ञप्ति (स्टेट लाईसेंट) प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जिस किसी संचालक के पास उक्त स्टेट लाईसेंस वर्त्तमान में नही है या निबंधित नही है वे सभी संचालक एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि वह कैफेटेरिया ;Cafeteria) के संचालन से पूर्व भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्गत सभी नियमों का पालन करना सुनिष्चि करेंगे, अन्यथा इनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

7. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन कैफेटेरिया के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित दर, प्रतिमाह किराया दर में, अधिकतम अर्पित दर के आधार पर तय किया जाएगा। यदि दो या अधिक निविदाकर्त्ता द्वारा एक ही दर अर्पित किया जाता है तो निविदा समिति द्वारा निविदा का निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।

8. सफल निविदादाता को **रू० 100/–(एक सौ रूपये मात्र)** मूल्य के नन्–जुडिसियल (Non-Judicial) स्टाम्प जमा कर एकरारनामा करना होगा जिसमें कैफेटेरिया संचालन की सभी शर्त्तों का उल्लेख होगा।

9. निविदा पर निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् सफल निविदादाता द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य सामाग्रियों की विवरणी के साथ दर को वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। इस लिए **खाद्य सामाग्रियों एवं सामाग्रियों के दर पर अनुमति के उपरांत** सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि से शीघ्र कैफेटेरिया का संचालन प्रारंभ किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा कैफेटेरिया के संचालन प्रारंभ करने में बिना किसी कारण विलंब करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर निविदाकर्त्ता को कालीसूची में डाल दिया जायेगा और अगले अधिकतम अर्पित दर वाले निविदाकर्त्ता से Cafeteria संचालन कराने की कार्रवाई की जायेगी।

10. प्रतिभूति जमा राशि :– सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के रूप में 3 (तीन) माह का अग्रिम किराया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डी.सी.आर./एफ.डी.आर/बैंक गारण्टी को प्रतिभूति राशि के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई के पदनाम से जमा करना होगा। यदि सफल निविदादाता शर्तों के अनुकूल सफलतापूर्वक एकरारनामा की अवधि तक कार्य करते हैं तो उन्हें एकरारनामा अवधि समाप्त होने पर जमा प्रतिभूति राशि वापस कर दिया जायेगा। यदि एकरारनामा अवधि में शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो जमा प्रतिभूति राशि को राज्यसात कर लिया जाएगा।

11. सफल निविदाकर्त्ता को प्रत्येक माह के **5 (पाँच) वीं तारीख तक अग्रिम मासिक किराया** जमा करना होगा। 5 वीं (पाँच) तारीख तक निर्धारित मासिक किराया जमा न करने की स्थिति में मासिक किराया का 3% (तीन प्रतिशत) वृद्धयात्मक शुल्क जोड़कर भुगतान करना होगा। लगातार तीन माह तक किराया (3% वृद्धायात्मक शुल्क सहित) जमा न करने पर जमानत की प्रतिभूति राशि राज्यसात करते हुये निविदा रद्द कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जायेगा, साथ ही साथ कैफेटेरिया में रखे सारे सामानों को जप्त कर लिया जोयगा। शेष राशि की वसूली के लिए उनपर विधिवत् कार्रवाई की जायेगी। किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को होगा।

12. निविदादाता को आवंटित तिथि से एक वर्ष के उपरांत उनका कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में प्रत्येक वर्ष के लिए निविदादाताओं द्वारा अर्पित अधिकतम दर प्रतिमाह किराया के न्युन्तम 05 प्रतिशत वृद्धि के साथ अवधि विस्तार किये जाने पर विचार किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई किराये के दर में वृद्धि अधिक कर सकते है। अवधि विस्तार पर निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई द्वारा लिया जायेगा।

13. विद्युत बिल का भुगतान–सफल निविदाकर्त्ता को किराया के साथ–साथ विद्युत उपयोग का भुगतान भी अलग से देना होगा। विद्युत बिल का भुगतान मीटर रिंडिंग के अनुसार व्यवसायिक दर पर होगा।

14. सामग्रियों की बिक्री महावीर वाटिका, माधोपुर क्षेत्र तक सीमित रहेगी। बिक्री का समय महावीर वाटिका, माधोपुर के खुलने और बंद होने के बीच रहेगा। महावीर वाटिका, माधोपुर को बन्द होने के बाद एवं सप्ताहिक बन्दी के दिन किसी प्रकार की सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। अगर महावीर वाटिका, माधोपुर को अन्य दिन भी बन्द रखा जाता है, तो उस दिन भी कैफेटेरिया को बन्द रखना होगा और इसके लिए जमुई वन प्रमण्डल द्वारा किसी प्रकार की छुट नहीं दी जाएगी। सफलतम निविदादाता को कैफेटेरिया संचालन हेतु खाद्य सामग्री महावीर वाटिका, माधोपुर में ले जाने के लिए पर्यटकों की सुविधा के अनुसार एक निश्चित समय निर्धारित किया जाएगा, उसी समय में सामग्री कैफेटेरिया में लाया जा सकता है।

15. निविदा रद्दीकरण :– सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति, कैफेटेरिया संचालन एवं खाद्य समाग्रियों की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी या दर्शकों से अधिक मूल्य की वसूली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत अथवा कैफेटेरिया संचालन से महावीर वाटिका, माधोपुर पर प्रतिकुल प्रभाव की सम्भावना होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई किसी भी समय नोटिस देकर निविदा रद्द करने की कार्रवाई कर सकते हैं। निविदा रद्द होने की स्थिति में सफल निविदादाता को किसी प्रकार का क्षतिपूरक राशि सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।

16. कैफेटेरिया में किसी प्रकार का **नशीला पदार्थ** की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कैफेटेरिया संचालक द्वारा किसी प्रकार का निषिद्ध पेय एवं खाद्य पदार्थ को न तो रखा जायेगा और न हीं बेचा जायेगा। बेचे जाने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ को सूची से हटाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई को होगा।

17. खाद्य सामाग्रियों से संबंधित समय–समय पर निर्गत सरकारी आदेशों का अनुपालन निविदादाता के लिए अनिवार्य होगा।

18. कैफेटेरिया के आस–पास की जगह को हमेशा साफ–सुथरा रखना होगा। कैफेटेरिया संचालक को बचा हुआ एवं अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ का निपटारा करना होगा। अपशिष्ट/उच्छिष्ट पदार्थ को किसी भी परिस्थिति में महावीर वाटिका, माधोपुर के अन्दर निपटारा नहीं किया जायेगा। किसी भी तरह का खाद्य एवं पेय पदार्थ जिसे प्लास्टिक पैक में बिकी की जा रही है उसे संचालकों को ही जमा कर निपटारा करना होगा।

19. महावीर वाटिका, माधोपुर में अवस्थित कैफेटेरिया उद्यान के अंदर स्थित है, अतएव कैफेटेरिया में खाद्य सामग्रियों को बनाने में एलपीजी गैस स्टोव का उपयोग किया जायेगा। लकड़ी आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई से अनुमति आवश्यक होगा।

20. महावीर वाटिका, माधोपुर एक शांत क्षेत्र है। इसलिए कैफेटेरिया में किसी प्रकार का शोर–शराबा, हल्ला गुल्ला एवं संगीत प्रतिबंधित रहेगा। महावीर वाटिका, माधोपुर में धुम्रपान, एकल उपयोग प्लास्टिक वर्जित क्षेत्र है। इसलिए महावीर वाटिका, माधोपुर में धुम्रपान एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध रहेगा।

21. संचालक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं लापरवाही बरतने पर प्रत्येक उल्लंघन/लापरवाही पर **दस हजार रूपये का अर्थदण्ड** लगाने का अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी को होगा।
22. सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदादाता का नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित घोषणा–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. कैफेटेरिया में अन्य किसी प्रकार की सुविधा वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुमति से ही उपलब्ध करायी जा सकेगी। निर्मित कैफेटेरिया में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन वन प्रमंडल पदाधिकारी के अनुमति से ही किया जा सकता है।
24. किसी भी निविदा को, किसी भी समय स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल जमुई को सुरक्षित रहेगा।
25. निविदा प्रपत्र में निविदादाता इस बात को प्रमाणित करेगें कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा/पढ़ावाया और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए सभी पृष्ठों पर अपना हस्ताक्षर करेंगें।
26. सरकार के निर्देश के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
27. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जमुई होगा।

Tejas L

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमण्डल, जमुई।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।
निविदा सूचना सं०–02/2025–26
तकनीकी निविदा

1 निविदादाता /फर्मों/रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ) :

....

....

2 निविदादाता /फर्मों / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः

....

....

क्र	तकनीकी सूचना	निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सूचना	पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र क्रय के मनी रसीद की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति या मूल–रसीद संलग्न करेंगे।		
2	यदि निर्धारित प्रपत्र एवं शर्त वेबसाईट से डाउनलोड कर निविदा समर्पित किया जा रहा है तो निविदा प्रपत्र की राशि के रूप में Divisional Forest Officer, Jamui Forest Division, Jamui/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमण्डल, जमुई के पदनाम में रू० 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।		
3	Divisional Forest Officer, Jamui Forest Division, Jamui/वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमण्डल, जमुई के पदनाम सें रू० 50000/– (पचास हजार रूपये मात्र) के अग्रधन राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट।		
4	FSSAI से निबंधन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति या संचालन से पूर्व इसके अनुपालन हेतु शपथ–पत्र।		
5	ESI & EPF से निबंधन की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति या संचालन से पूर्व इसके अनुपालन हेतु शपथ–पत्र।		
6	G.S.T से निबंधन एवं अद्यतन एक तिमाही (तीन माह) का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति या संचालन से पूर्व इसके अनुपालन हेतु शपथ–पत्र।		
7	पैन/टैन के निबंधन एवं विगत तीन वर्षों का (Assesment Year 2023–24, 2024–25 एवं 2025–2026) आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति या इसके अनुपालन हेतु शपथ–पत्र।		
8	पहचान–पत्र तथा पता संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।		
9	फर्म के नाम पर निविदा समर्पित करने की स्थिति में निविदाकर्त्ता के लिए फर्म का प्राधिकार–पत्र की मूलप्रति।		
10	सरकारी/गैर सरकारी संस्थान के काली सूची में निविदाकर्त्ता का नाम दर्ज होने/नहीं होने से संबंधित घोषणा–पत्र।		
11	आवेदक का चरित्र प्रमाण–पत्र (सरकार के निदेशानुसार)		
12	राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये हस्ताक्षर का नमूना संलग्न		

स्थान : ....

दिनांकः ....

निविदादाता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

पता–

मोबाईल नं०:–

ई–मेल

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०–02/2025–26

वित्तीय निविदा फार्म

1 निविदादाता/फर्मो/रेस्तराँ संचालक का नाम एवं पूरा पता (दूरभाष एवं मोबाईल नं0 के साथ)

....

....

....

2 निविदादाता /फर्मो / रेस्तराँ संचालक के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथः

....

....

....

3 कैफिटेरिया उपयोग हेतु मासिक किराया दर –

क्र० सं०	कैफेटेरिया ;Cafeteria) का नाम	अर्पित किराया दर (प्रतिमाह)	अर्पित किराया दर प्रतिमाह (शब्दों में)
1			

नोटः– 1. वित्तीय निविदा का मूल्यांकन **कैफेटेरिया (Cafeteria)** के लिए अर्पित दर में जो भी अधिकतम होगा के आधार पर तय किया जाएगा।

2. चयनित निविदादाता के द्वारा एक एकरारनामा हस्ताक्षरित करना होगा और उसमें दी गयी शर्त्तो का पालन करना होगा।

स्थान : .... निविदादाता का हस्ताक्षर

दिनांकः .... पूरा नाम –

अल्पकालीन निविदा सूचना सं०–02/2025–26

घोषणा–पत्र

मैं.. पिता का नाम..

ग्राम.......................................पो०... थाना...

जिला... घोषणा करता हूँ कि मैंने ....

.... (विभाग/कार्यालय का नाम) में .... से ....

.... अवधि तक के लिए कार्य किया है/था तथा उस विभाग/कार्यालय अथवा किसी भी कार्य के लिए किसी सरकारी विभाग/कार्यालय द्वारा मुझे कृष्णचिन्हित (Black Listed) किया/नही किया गया है।

निविदाकर्त्ता का हस्ताक्षर

पूरा नाम –

तिथि......................